

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4680
दिनांक 21 अगस्त, 2025

सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार

†4680. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्षों के दौरान देश के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों (एसपीआर) की विद्यमान क्षमता को आगे बढ़ाने का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही प्रस्तावित नए एसपीआर स्थानों सहित उनकी भंडारण क्षमता, अनुमानित लागत और पूरा होने की समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिणी राज्य का उनके तटीय और संभार-तंत्रीय लाभों को देखते हुए अतिरिक्त सामरिक भंडारों की मेजबानी के लिए विचार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) एसपीआर के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की वर्तमान स्थिति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू तेल कंपनियों की सहभागिता क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के दृष्टिगत एसपीआर विस्तार के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): भारत सरकार (जीओआई) ने एक विशेष प्रयोजनार्थ कंपनी जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के रूप में अभिज्ञात है, के माध्यम से तीन स्थलों में यथा (i) विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), (ii) मंगलूरु (1.5 एमएमटी) और (iii) पादुर (2.5 एमएमटी) कूड ऑयल की कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की क्षमता वाले स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर)

सुविधाओं की स्थापना की है, जो लघु अवधि की आपूर्ति बाधा में प्रतिरोधी के रूप में कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य लगभग 9.5 दिनों की कूड ऑयल की आवश्यकता के लिए प्रबंध करना है।

इसके अलावा, सरकार ने एसपीआर क्षमता का संवर्धन करने के लिए जुलाई, 2021 में ओडिशा में चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक में पादुर (2.5 एमएमटी) में कुल 6.5 एमएमटी की भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना भी अनुमोदित की थी। आईएसपीआरएल ने कुल 14,527 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तेल कंपनियों से निवेश प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है।

सरकार समय-समय पर तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर भंडारण क्षमताओं के संवर्धन की संभावना का मूल्यांकन करती रहती है। अतिरिक्त पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए नए स्थलों का आकलन करना एक सतत प्रक्रिया है।
